

अत्यावश्यक

डाक/ई-मेल

## राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल विकास खण्ड सचिवालय जयपुर -302005)

क्रमांक: प.1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/5199

दिनांक: 30.12.2025

प्रेषक-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित-

जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर) समस्त।

विषय:-पंचायत राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 से संबंधित  
बजट मदों से व्यय करने सम्बन्धी दिशा निर्देश।

महोदय,

आगामी नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 से संबंधित  
बजट मदों से व्यय करने हेतु निम्नानुसार सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(अ) स्टेशनरी/मतदान सामग्री का क्रय:-

1. यथा संभव नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु सामग्री सेवाओं की कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एकजाई निविदा दरें प्राप्त की जाये। निविदा आमंत्रण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।

सामग्री की प्राप्ति व निर्गमन हेतु नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जावे। व्यवस्था/सामग्री क्रय हेतु लिखित आदेश जारी किये जावें एवं निविदा के अनुबन्ध संपादित किए जावे।

2. चुनाव के दौरान प्रशिक्षण लेने एवं देने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टैन्ट, माइक एवं विद्युत व्यवस्था की जावे तथा सामग्री का व्यय वास्तविक उपयोग दिवस के लिए ही हो, इसका उल्लेख निविदा शर्तों में अनिवार्य रूप से किया जाये। उपयोगहीन दिवसों के लिए सामग्री का प्रमाणन एवं भुगतान नहीं किया जाये। कीमती फर्नीचर, सजावटी पर्दे, कारपेट, एवं कालीन आदि का उपयोग नहीं किया जाये।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव राजकीय परिसर, सामुदायिक केन्द्र, आडिटोरियम आदि में रखा जावे। ऐसे परिसर उपलब्ध ना होने की स्थिति में सिनेमा हॉल आदि को नियमानुसार अधिग्रहण कर उपयोग में लिया जायें।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूर्व प्रशिक्षण हेतु पारियों की संख्या, प्रशिक्षणार्थियों की संख्यानुसार बैठक क्षमता एवं टैण्ट, माईक, लाईट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
5. विद्युत व्यवस्था के लिए जहाँ तक संभव हो, अलग से कनेक्शन नहीं लिया जाए, संस्था के विद्युत मीटर से ही वास्तविक उपभोग की गणना कर विद्युत व्यय का भुगतान किया जाये।
6. विद्युत कनेक्शन नहीं होने या अन्य किसी कारण से जनरेटर की आवश्यकता हो तो कितनी क्षमता के जनरेटर की आवश्यकता है, इसका भी ध्यान रखा जावे। अनुपयोगी दिवसों के लिए भुगतान नहीं किया जायें।
7. प्रायः यह देखा गया है कि भण्डार/कार्यालय में कार्य करने हेतु बल्ब, हैलोजन भी किराये पर लिये जाते हैं जबकि स्टोर/कार्यालय में स्थायी बल्ब, हैलोजन एवं ट्यूब लाईट लगे होते हैं। अतः बल्ब, हैलोजन, ट्यूब लाईट आदि भण्डार/कार्यालय हेतु किराये पर नहीं लिये जायें।
8. कितने परिसर में विद्युत व्यवस्था की जानी है, यह भी पूर्व सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।
9. निविदा शर्तों/अनुमोदित दरों की प्रतियाँ व्यवस्था प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावे एवं भुगतान से पूर्व प्रस्तुत बिलों की जाँच सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से कराई जावे।
10. चुनाव के दौरान किराये पर ली जाने वाली सामग्री यथा टैण्ट, माईक, विद्युत एवं बैरिकेडिंग इत्यादि के भौतिक सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में लेखाकर्मी तकनीकी कार्मिक को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाये। यह कमेटी व्यवस्था के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिशः जाकर किराये पर प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता तथा उपयोग दिवसों का भौतिक रूप से सत्यापन कर वांछित पंजिका का संधारण करेगी। उक्त समिति उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में, व्यवस्था प्रभारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करेगी। बिलों के भुगतान से पूर्व उक्त कमेटी की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखा जाये।
11. विडियोग्राफी तथा डिजीटल कैमरा फोटोग्राफी आयोग द्वारा निर्देशित संख्या एवं दिवसों के लिए ही की जावे।
12. नाम निर्देशन प्रस्तुत करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/ई.आर.ओ. कार्यालयों पर की जाने वाली बैरिकेडिंग, प्रशिक्षण स्थलों, मतदान व मतगणना केन्द्रों की

बेरीकेडिंग के अतिरिक्त अन्य स्थलों/नगर की सड़कों पर कानून व्यवस्था हेतु की गई बेरीकेडिंग का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे।

13. स्टॉक इन्द्राज एवं प्रमाणन की प्रविष्टि बिल पर आवश्यक रूप से की जाये।
14. कार्यालय उपयोग के लिए जारी की जाने वाली सामग्री नियमानुसार मांगपत्र प्राप्त कर जारी की जावे। चुनाव के पश्चात् शेष सामग्री को स्टोर में वापस जमा किया जाये।
15. स्थाई प्रकृति/सौंदर्यकरण की सामग्री चुनाव फण्ड से क्रय नहीं की जाये।
16. चुनाव फण्ड से किसी भी प्रकार की मरम्मत/नवीन निर्माण कार्य आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
17. आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में ही डाक स्टाम्प क्रय किये जाये।

(ब) यात्रा भत्ता भुगतान:-

1. रिजर्व मतदान/मतगणना दल की संख्या, वास्तविक मतदान/मतगणना दलों के 10 प्रतिशत तक की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जायें।
2. चुनाव कार्य हेतु जिला मुख्यालय से बाहर के कार्मिकों को अनावश्यक रूप से अधिक लम्बे समय तक दैनिक भत्ता भुगतान की शर्त पर नहीं रखा जाये।
3. पंचायत चुनावों से संबंधित मतदाता सूची की तैयारी में लगे प्रगणकों को अत्यावश्यक यात्रा (अधिकतम तीन यात्रा) हेतु ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान किया जाये। सामान्य स्टॉफ को तीन दिवस से अधिक यात्रा भत्ते के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाये।
4. चुनाव के मतदान दल/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी निरस्त करवा लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता (TA & DA) देय नहीं होगा।
5. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्थार्थ लगे पुलिस कार्मिकों को TA & DA का भुगतान चुनाव मद से नहीं किया जावे।

(स) पी.ओ.एल/वाहन किराया भुगतान:-

1. जहां तक सम्भव हो नगर निकाय/ पंचायत आम चुनाव के लिए नियुक्त जोनल/एरिया मजिस्ट्रेट को सरकारी/निगमों/बोर्डों से अधिग्रहित वाहन उपलब्ध कराया जाये। विशेष परिस्थिति व सरकारी वाहनों की अनुपलब्धता पर ही प्राईवेट वाहनों का अधिग्रहण किया जाये। अनावश्यक व अधिक मात्रा में वाहनों का अधिग्रहण नहीं किया जाये। अधिग्रहित किये गये वाहनों को रवानगी दिवस से मात्र एक दिन पूर्व रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया जाये तथा मतदान के बाद पार्टी के पहुँचने के पश्चात् अधिग्रहित वाहन को अतिशीघ्र मुक्त किया जाये।

2. चुनाव के लिए कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राइवेट/सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया जाये। मतदान दलों के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों की संख्या के अधिकतम 10% तक ही वाहन रिजर्व में रखे जावें। रिजर्व वाहनों को कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मुक्त किया जावें।
3. एक ही रूट के मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदान दलों की ग्रुपिंग इस प्रकार की जावे कि कम से कम वाहनों की आवश्यकता पड़े।
4. नगर निकाय/पंचायत चुनाव के दौरान उपयोग में लिये जाने वाले जिला पूल के वाहनों की लघु मरम्मत पर रु. 2500/- प्रति वाहन से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाये। चुनाव अवधि से पूर्व/पश्चात कराए गए कार्य का भूगतान चुनाव मद से नहीं किया जावे। वाहन के टायर ट्यूब, बैट्री, कुशन वर्क, पर्दे व ऐसेसरीज लघु मरम्मत की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।
5. सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस वाहनों को पी.ओ.एल./वाहन किराया एवं मरम्मत आदि पर व्यय, चुनाव फण्ड से देय नहीं है।
6. कलेक्ट्रेट कार्यालय व पूल के वाहन जो सामान्य कार्यालय के उपयोग हेतु लिये जाते हैं, उनका पी.ओ.एल. चुनाव फण्ड से वहन नहीं किया जाये। चुनाव हेतु उपयोग किये जाने वाले कलेक्ट्रेट/पूल के वाहनों को चुनाव उपयोग में लेने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाये।
7. पी.ओ.एल. के कूपन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ही छपवाये जायें तथा अधिकृत कार्मिकों को ही कूपन जारी किये जाये। पी.ओ.एल. के कूपन वितरण के लिए समुचित अभिलेखों का संधारण किया जाये।
8. वाहन किराया/पी. ओ. एल. के बिल अधिकतम एक माह के भीतर प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

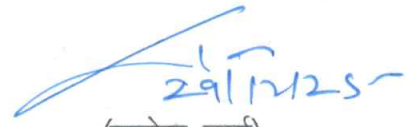
(द) अन्य सामान्य निर्देश :-

1. आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों के सर्किट हॉउस/होटल/लॉज में ठहरने के दौरान भोजन/अल्पाहार तथा कमरों का किराया स्वयं के द्वारा (दैनिक भत्ते से) वहन किये जायेंगे। अतः उक्त व्यवस्था पर चुनाव फण्ड से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाये।
2. नगर निकाय/पंचायत चुनाव से पूर्व/पश्चात के असंबद्ध बिलों का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जाये। बजट आवंटन से अधिक व्यय आयोग की पूर्व स्वीकृति बिना नहीं किया जावे। अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होने पर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
3. आयोग द्वारा स्वीकृत अस्थाई दूरभाष मात्र स्वीकृत अवधि व स्थानों पर ही स्थापित किये जाये। चुनाव के दौरान लिये गये दूरभाषों का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें।

4. आयोग द्वारा स्वीकृत दूरभाषों के अतिरिक्त कलेक्ट्रेट/ई.आर.ओ./तहसील कार्यालय व अधिकारियों के घरों पर पूर्व में ही स्थाई रूप से स्थापित दूरभाषों का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जाये। आयोग की स्वीकृति के अतिरिक्त जिन दूरभाषों का भुगतान चुनाव फण्ड से वहन किया जाना आवश्यक है, उसकी स्वीकृति (निर्धारित अवधि हेतु) राज्य निर्वाचन आयोग से आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।
5. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को अल्पाहार एवं चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था चुनाव मद से नहीं की जायें। केवल मतगणना के दौरान मतगणना स्थल परिसर के भीतर नियुक्त पुलिस कर्मियों को ही चुनाव मद से अल्पाहार की व्यवस्था की जाये।
6. पुलिस/सुरक्षा दलों के ठहरने के स्थानों की टैण्ट/विद्युत व्यवस्था चुनाव फण्ड से नहीं की जाये। किन्तु पुलिस अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं का व्यय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव मद से किया जा सकेगा।
7. चुनाव के समय मतदान दलों/मतगणना दलों/जोनल मजिस्ट्रेट आदि के प्रशिक्षण/रवानगी व मतगणना आदि का कार्य यथा संभव राजकीय कार्यालयों/भवनों में ही किया जाये।
8. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की प्रदत्त शक्तियों/बजट सीमा के बाहर एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा में ए.सी. बिलों का आहरण नहीं किया जाये। ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल निर्धारित समय (एक माह) के भीतर कोष कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये जायें एवं प्रेषित किये गये डी. सी. बिल के मुख्य तथा पृष्ठ भाग की छायाप्रति राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।
9. चुनावों के दौरान भारी मात्रा में अस्थायी अग्रिम नहीं दिया जाये एवं दिये गये अग्रिम का समायोजन नियमानुसार चार सप्ताह में अनिवार्य रूप से कराया जावे। निर्धारित अवधि के पश्चात् समायोजन की स्थिति में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जाये।
10. विभिन्न चुनाव कार्यों हेतु अन्य विभागों/कार्मिकों को दिये गये अग्रिम के संबंध में कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये।
11. रोकड बही का नियमानुसार संधारण, सत्यापन, आकस्मिक जाँच की जावे एवं रोकड बही में अधिक मात्रा व अधिक समय तक राशि अवितरित नहीं रखी जाये।
12. चुनाव अवधि के दौरान आहरित की जाने वाली नगद राशि डबल लॉक में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखी जाये ताकि चोरी इत्यादि के मामलों से बचा सके।

13. नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के समस्त व्यय का भुगतान चुनाव सम्पन्न होने के एक माह के भीतर करना सुनिश्चित करें। चुनाव सम्पन्न होने के एक माह पश्चात् किसी भी दायित्व/व्यय का भुगतान करना संभव नहीं होगा। फोटोस्टेट बिलों का भुगतान नियमानुसार निविदा प्राप्त किये जाने के आधार पर ही किया जाये। निविदा आवश्यकता के आधार पर ई.आर.ओ. स्तर पर भी की जाये एवं फोटोस्टेट कराने की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करें, कि किसके द्वारा किस दस्तावेज की फोटो प्रति कराई है। अधिकृत व्यक्ति की Slip से ही फोटो प्रति कराई जावे। इस कार्य हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 3-4 लोगों को अधिकृत करना उचित होगा।
14. आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
15. लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दायित्वों का भुगतान नगर निकाय/पंचायत चुनाव बजट से नहीं किया जावे।
16. चुनाव में प्राप्त राजस्व को अविलम्ब राजकोष में जमा कराया जावे।
17. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव/उपचुनावों में अभ्यर्थियों की जब्त जमानत/अवितरित राशि का लेखा संधारण एवं राजकोष में जमा कराने के संबंध में आयोग के परिपत्र क्रमांक पं.2(8)लेखा/रानिआ/94/2283 दिनांक 09.07.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 2178 दिनांक 20.06.2019 की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
18. निर्वाचन संबंधी मदवार व्यय रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में प्रति पखवाड़े आयोग को Online/Hard Copy के माध्यम से प्रेषित की जावे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से चुनाव के व्यय के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को चुनाव की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ध्यान में भी लाया जावे।

  
(राजेश वर्मा)  
सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/5200-5206

दिनांक: 30.12.2025

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I (आई.सी.11), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
5. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
6. कम्प्यूटर शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा (आन्तरिक जॉच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. गार्ड फाईल।



(सुरेश चन्द मीणा)  
वरिष्ठ लेखाधिकारी  
राज्य निर्वाचन आयोग  
राजस्थान, जयपुर

Office of District Election Officer.....  
Statement of Monthly Detailed Expenditure on .....

|                             |                 | Budget Head ..... |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    | Month .....                     |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------|------------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| No.                         | Bill No. & Date | TV No.            | date | Honorarium | T.A./D.A. | P.O.L./Hire Charges | Stationary | Videography | Refreshment | Postage Telephone & Fax | Ex-Gratia on Death | Balot Box Repair / Oil Greasing | Outright Payment | Tent / Barricading / Electrical Expe. | Strong Room | Voter List Preparation Expenditure | Balot paper printing | Polling Material | Remuneration for Voter List | Photo State | Exp. On EVM's FLC | miss. Expenses | Total Paid Amount |
| 1                           | 2               | 3                 | 4    | 5          | 6         | 7                   | 8          | 9           | 10          | 11                      | 12                 | 13                              | 14               | 15                                    | 16          | 17                                 | 18                   | 19               | 20                          | 21          | 22                | 23             | 24                |
| 1                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 2                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 3                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 4                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 5                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 6                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 7                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 8                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 9                           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 10                          |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 11                          |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 12                          |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| 13                          |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| Total of This Month         |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| Expenditure upto last Month |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| Total Expenditure           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| Budget Alloted by SEC       |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |
| Balance Available           |                 |                   |      |            |           |                     |            |             |             |                         |                    |                                 |                  |                                       |             |                                    |                      |                  |                             |             |                   |                |                   |

Signature of DEO